रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

CENTRAL S... LIBRARY ... 29/12/99 GOVT...

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
**EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**

प्राधिकार से प्रकाशित
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 610] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 4, 1999/आश्विन 12, 1921
**No. 610] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 4, 1999/ASVINA 12, 1921**

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1999

**का.आ. 1010 (अ).**—दिनांक 17-3-99 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. का. आ.176-(अ) जिसके द्वारा विभिन्न नाविक यूनियनों द्वारा प्रस्तुत किए गए मांग पत्रों पर निर्णय करने के लिए श्रीमती कुमुद बंसल, भा.प्र.से. (महाराष्ट्र-1969) की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायाधिकरण गठित किया गया था, के अनुक्रम में उच्च न्यायालय, मुम्बई के आदेश के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यायाधिकरण के कार्यकाल को एतद्द्वारा दिनांक 16-9-1999 से आगे दिनांक 31-12-1999 तक बढ़ाया जाता है। न्यायाधिकरण अब अपना अधिनिर्णय केन्द्र सरकार को दिनांक 31-12-1999 तक प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. सी-18018/3/99-एम टी]

एम. रामचन्द्रन, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT**

**(Shipping Wing)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th October, 1999

**S.O. 1010(E).**—In continuation of Extraordinary Gazette Notification No. S.O. 176(E) dated 17-3-1999 constituting One person Tribunal under the Chairpersonship of Smt. Kumud Bansal, IAS (Maharashtra, 69) to adjudicate the charter of demands submitted by various seafarers unions, the Central Government hereby grants extension of time to the Tribunal upto 31-12-1999 beyond 16-9-1999 as per order passed by Hon'ble High Court, Mumbai, Tribunal shall, now, submit its award to the Central Government by 31-12-1999.

[F. No. C-18018/3/99-MT]

M. RAMACHANDRAN, Jt. Secy.



Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
Publ... by ... of P...